राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 59/2014

मनकोरी देवी पत्नी रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीया

<u>ब–ना–म</u>

1. चिरंजीलाल
2. भागीरथ
3. सनेहीलाल

} पुत्रान बन्साराम जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

4. चन्द्र सिंह
5. सरदारा
6. बाबुलाल
7. बिड़दाराम

} पुत्रान रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

8. भादर पुत्र गणपतराम
9. भाताराम पुत्र गणपरात जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. दयालाराम पुत्र श्योनारायण – (फौत)

10/1 मोहरा देवी पत्नी दयालाराम

10/2 रामसिंह पुत्र दयालाराम

10/3 अमर सिंह पुत्र दयालाराम जाति गुर्जर निवासी रोड़ासर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

10/4 सुमन पुत्री दयालाराम पत्नी रामावतार जाति गुर्जर निवासी पांचनोता सराय तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0

11. बड़ौदा क्षेत्रिय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिए शाखा प्रबंधक।
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घरड़ाना खुर्द जरिए शाखा प्रबंधक।
13. दुलीचन्द पुत्र हरलाल
14. श्योचन्द पुत्र गणपत
15. भवगती देवी पत्नी श्योचन्द जाति गुर्जर निवासी रोड़ा तहसील खेतड़ी।
16. भारतीय स्टेट बैंक खेतड़ी जरिए शाखा प्रबंधक।
17. तहसीलदार एवं लैण्ड होल्डर, खेतड़ी जिला [illegible] राज0

.......अप्राथीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

इ

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री जयप्रकाश सैनी – प्रार्थीया की ओर से
2. श्री विजय कसाणा – अप्रार्थीगण सं. 1 से 7 व 9 लगा. 10 की ओर से

निर्णय **दिनांक 08–02–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम रोड़ासर स्थित भूमि खसरा नंबर 95 रकबा 0.84 है., ख.नं. 99 रकबा 0.30 है., ख.नं. 100 रकबा 0.31 है. किता 3 कुल रकबा 1.45 है. की प्रार्थीया खातेदार काबिज काश्तकार है। वर्तमान जमाबंदी में उसका 1/2 हिस्सा दर्ज है लेकिन नानची वगै0 का 1/4 हिस्सा भी पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद लिया है जिसका नामांतकरण की कार्यवाही अलग से की जा रही है तथा खातेदार भागीरथ वगै. का हिस्सा भी प्रार्थीया ने खरीद लिया है चूंकि इस बाबत इस प्रकरण में कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीया भूमि खसरा नंबर 95, 99 व 100 की खातेदार है एवं अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीया की भूमि से दक्षिण में सटकर गांव गोरधनपुरा तहसील बुहाना की भूमि है तथा खसरा नंबर 95 से पश्चिम में खसरा नंबर 94 की भूमि है, वहीं सटती हुई है तथा खसरा नंबर 94 के दक्षिण में खसरा नंबर 92 रकबा 0.45 है. की भूमि है जो आम रास्ता से सटती हुई है। खसरानंबर 92 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नंबर 92 में से ख.नं. 94 में प्रवेश किया जाता है व ख.नं. 94 में से ख.नं. 95 में प्रवेश किया जाता है। ग्राम रोड़ासर स्थित प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 95, 99 व 100 मे जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है केवल ख.नं. 92 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे ही ख.नं. 92 में से व उसके बाद ख.नं. 94 में से प्रार्थीया अपने खेत में प्रवेश कर सकती है अर्थात् ख.नं. 95 के लिए प्रार्थीया को 15 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जो ख.नं. 92 व 94 में दिलवाया जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थीया के लिए अपनी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा ख.नं. 92 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे ही 15 फीट चौड़ाई का रास्ता भौतिक रूप से अधिक सुविधाजनक है तथा कम से कम भूमि वहां से रास्ता के काम आती है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 92 व 94 में से रास्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम रोड़ासर स्थित भूमि खसरा नंबर 92 रकबा 0.45 है व ख.नं. 94 रकबा 1.34 है. में से प्रार्थीया को पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार 15 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की कृपा करें तथा दौराने प्रार्थना पत्र यदि अप्रार्थीगण इस रास्ता में अवरोध पैदा कर देते हैं तो उसे भी साफ करवाया जाने एवं रास्ता मौके पर कायम किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर वि[illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत [illegible] 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा चाहे गये अनुतोष [illegible] अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थीया ने ख.नं. 92 व 94 में से प्रचलित रास्ता बताया जबकि कभी भी प्रचलित रास्ता नहीं रहा है तथा प्रार्थीया के मकानों में जाने के लिए ख.नं. 96 व 97 में से ग्राम

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Scanned with CamScanner

गोरधनपुरा की सीमा से जाकर अपने घरों तक जाने का रास्ता है जो गत् 100 वर्षों से प्रचलित है, आगे धर्मपाल के घरों से जाकर ग्राम घरडाना में जाता है तथा खसरा नंबर 96 व 97 प्रार्थीया के ही परिवार के हैं। प्रार्थीया को रास्ता सुविधाजनक व तुलनात्मक रूप से ग्राम गोरधनपुरा की सीमा में से होकर मांगना चाहिए था। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 8, 10/1 से 10/4, 11 लगा. 17 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2021/327 दिनांक 26.11.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है :-

1. प्रार्थीया द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है।
2. प्रार्थीया द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की भूमि में अप्रार्थी द्वारा निर्मित टिन शैड का निर्माण रास्ते हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद किया गया है।
3. अप्रार्थी द्वारा टिन शैड का निर्माण बाद में किया गया है व टिन शैड की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता बिन्दू संख्या ए से बिन्दू संख्या बी तक लघुत्तम है।
4. अप्रार्थी द्वारा निर्मित टिन शैड पूर्व का नहीं है। टिन शैड का निर्माण बाद में किया गया है।
5. प्रार्थीया द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते से कम दूरी का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
6. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। यह केवल सुविधाजनकर उपयोग के लिए नहीं है।
7. अन्य खातेदार की जोत में से होकर प्रार्थीया को अपने घर तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।
8. प्रस्तावित रास्ता सलंग्न नजरी नक्शानुसार बिन्दू संख्या ए से बी तक लघुत्तम है।
9. बिन्दू ए से बी की कुल दूरी 116 मीटर है प्रार्थीया को 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिये जाने पर रास्ते में कुल 116x4 =464 वर्गमीटर जिसकी डी.एल.सी. दर 35020/-रू. है जिसकी दुगुनी राशि रू. 70040/- बने हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीया को खसरा नंबर 95 में पहुंच हेतु रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। उक्त खसरा नंबर में पहुंचने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर की फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा के बिन्दु संख्या ए से बी (ख.नं. 92, 94) में से प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई में 464 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थीया के पास अपने आवासीय मकानों व खातेदारी भूमि ख.नं. 95 में आने-जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीया का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-क के प्रावधानों की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी प्रार्थीया का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रोड़ासर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 95 में जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 92, 94 की नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकितानुसार (बिन्दु सं. ए से बी) 4 मीटर चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 95 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 464 वर्गमीटर भूमि की कीमत 35020 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 70040/-रू. अक्षरे सत्तर हजार चालीस रूपये प्रार्थीया तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवाये। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 92, 94 के खातेदार अप्रार्थीगण को प्रतिकार की रकम नियमानुसार अदा करें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 92, 94 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 08–02–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:18:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner